जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट, 2014

प्रेस विज्ञप्ति 19/2014 दिनांक : जनवरी 10, 2015

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(3)शिक्षा–1/4/2012 दिनांक 10–8–2014 के अनुसार इस कार्यालय ने विज्ञप्ति सूचना 10/2014 दिनांक 10–08–2014 जारी कर प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट–2014 के माध्यम से बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 में प्रवेश हेतु पूर्व में जिन अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कॉउन्सलिंग के समय महाविद्यालय आवंटन पश्चात प्रवेश के लिए ली जाने वाली शेष शुल्क राशि रु.20,450/– में छूट प्रदान की थी, को अब राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 10–01–2015 द्वारा पूर्व में जारी उपरोक्त आदेश को व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण निरस्त करने के फलस्वरूप बिना शुल्क राशि जमा किये प्रवेश ले चुके प्रशिक्षणार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अध्ययनरत महाविद्यालय में **दिनांक 25–01–2015** तक शेष शुल्क रु.20,450/– आवश्यक रूप से जमा करें।

बी.एड. प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि ऐसे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा शुल्क जमा करवाने के पश्चात पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति के अन्तर्गत इस राशि का पुनर्भुगतान प्राप्त करने के इच्छुक पात्र प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति के ऑनलाईन पोर्टल (rajpms.nic.in) पर 31 जनवरी, 2015 तक आवेदन करने हेतु निर्देशित करें। महाविद्यालय अब जमा की जाने वाली शुल्क राशि का समस्त विवरण पीटीईटी कार्यालय को भी प्रेषित करें।

Website: www.ptetadmissions.nic.in **प्रो. रमन कुमार दवे**
दूरभाष : 0291-2652653, 2635598 (FAX) **समन्वयक, पीटीईटी**

प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट–2014 के माध्यम से बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वर्तमान में चल रही कॉउंसलिग हेतु राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी.एड.) के छात्रों से काउंसलिंग के समय निम्नानुसार शुल्क लिये जाने का प्रावधान हैः–

1.पंजीयन शुल्क रूपये	2,000 / –
2.महाविद्यालय आवंटन के पश्चात लिया जाने वाला शुल्क रू.	20,450 / –
कुल राशि	22,450 / –

अनुसूचित जाति / अनसूचित जनजाति (जिनकी परिवारिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अभ्यर्थी (जिनकी परिवारिक आय 1.00 लाख रूपये से कम है) के विद्यार्थियों द्वारा दिये गये इस शुल्क राशि का पुर्नभरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागा द्वारा किया जाता है। राज्य सरका का मत है कि इससे गरीब विद्यार्थियों को उक्त राशि (रूपये 20,450 / –) जमा कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अब तक काउन्सलिंग में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी पंजीयन शुल्क राशि रू.2,000 / – जमा करवा चुके हैं।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनसे उक्त राशि प्रवेश के समय नहीं ली जावेगी। विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सीधे संबंधित महाविद्यालय को भुगतान कर दी जावेगी।

अतः वर्तमान की जा रही पीटीईटी काउंसलिंग में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उपरोक्तानुसार पात्र ऐसे विद्यार्थी (जिनके द्वारा प्रस्तावित भुगतान की राशि का पुर्नभरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त होगा) से कोई राशि (रूपये 20,450 / –के पेटे) नहीं ली जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों द्वारा अपने पारिवारिक व आय के संबंध में प्रमाण–पत्र दिनांक 31–08–2014 तक आवंटित महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। इन श्रेणियों के अन्य अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति से पूर्व ही निर्धारित शुल्क जमा कर चुके हैं को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा जमा शुल्क राशि बैंकों से डाटा प्राप्त कर पुनः लौटान की कार्यचाही शीघ्र ही शुरू की जावेगी जिसकी सूचना अखबारों में प्रकाशित करवाई जायेगी।

महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों की ऑन–लाईन रिर्पोटिंग करने का श्रम करें। इस कार्यालय की पूर्व विज्ञप्ति संख्या 09 / 2014 दिनांक 01–08–2014 की शेष शर्तें यथावत रहेगी। कृपया सभी संबंधित सूचित रहें।